संख्या-05/2025/136 /001-136-23-10-2025-23-10-16-2025

प्रेषक,

शेषनाथ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-08सी/54सी/निवर्तन/25-26 दिनांक 08.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा के अंतर्गत प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 1800.00 करोड़, प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 2700.00 करोड़, प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सडक पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान हेतु रू0 2.50 करोड़ एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 2.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 4504.50 करोड़ (रूपये पैंतालीस अरब चार करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रं0 सं0	**योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0301-29)**	1800.00	1800.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0332-29)**	2700.00	2700.00
3	प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान **(3054-04-337-03-0331-29)**	2.50	2.50
4	प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौंदर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य **(3054-80-800-07-0702-29)**	2.00	2.00
	योग -	**4504.50**	**4504.50**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025-बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनॉक 27 मार्च 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2025 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

''धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) निवर्तन मद के अंतर्गत बजट व्यवस्था के अनुसार रू0 40.00 लाख से कम लागत के कार्यों की स्वीकृति से पूर्व संबंधित कार्यों की कार्ययोजना पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3054043370301 (प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370301 प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	18,00,00,00,000 (रुपये अठारह अरब मात्र)
	कुल			**18,00,00,00,000** **(रुपये अठारह अरब मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3054043370331 (प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370331 प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान	29 अनुरक्षण	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,50,00,000** **(रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3054043370332 (प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370332 प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	27,00,00,00,000 (रुपये सत्ताईस अरब मात्र)
	कुल			**27,00,00,00,000** **(रुपये सत्ताईस अरब मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3054808000702 (प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054808000702 प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000** **(रुपये दो करोड़ मात्र)**
महायोग		**45,04,50,00,000** **(रुपये पैंतालीस अरब चार करोड़ पचास लाख मात्र)**		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शेषनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-05/2025/136(1) /001-136-23-10-2025-23-10-16-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
6- नियोजन अनुभाग-4 ।
7- लोक निर्माण अनुभाग-1 ।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

शेषनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।